

M/10



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13, 2010/फाल्गुन 22, 1931

No. 70]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13, 2010/PHALGUNA 22, 1931

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

[तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं विनियम, 2010]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मार्च, 2010

फा. सं. 37-3/विधि/2010.—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) की धारा 10 (i) और (v) के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् निम्न विनियम बनाती है :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रचोद्यता एवं आरंभ :

1.1 इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् [तकनीकी संस्थाओं (डिग्री) में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षणिक स्टाफ के लिए वेतनमान, सेवा शर्तें और अर्हताएं] विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

1.2 ये उन तकनीकी संस्थाओं तथा मानित विश्वविद्यालयों सहित उन विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो तकनीकी शिक्षा तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रम/कार्यक्रम और विषय-क्षेत्र संचालित कर रही हैं जैसेकि परिषद् द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किए गए हैं ।

ये इनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

सामान्य :

(i) विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के संबंध में केवल तीन पदनाम होंगे, अर्थात् सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर । तथापि, विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय कार्मिकों के संबंध में वर्तमान पदनामों में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

(ii) प्रोफेसर के रूप में नियुक्त होने, प्रोन्नत होने अथवा पदनामित होने के लिए कोई भी तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक वह पी.एच.डी. धारण नहीं कर लेता है तथा अभातिशय द्वारा समय-समय पर निर्धारित अन्य शैक्षणिक शर्तों की पूर्ति नहीं करता है । तथापि, यह बात उन व्यक्तियों को प्रभावित नहीं करेगी जिन्हें पहले ही 'प्रोफेसर' के रूप में पदनामित किया गया है ।

(iii) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के वेतन उनके पदनामों के अनुरूप उपयुक्त "शैक्षणिक ग्रेड वेतन" (संक्षेप में एजीपी) के साथ 15600-39100 रु. तथा 37400-67000 रु. के दो वेतन बैंडों में निर्धारित किए जाएंगे । प्रत्येक वेतन बैंड में शैक्षणिक ग्रेड वेतन की विभिन्न अवस्थाएं होंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि इस स्कीम के अधीन शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्गों के पास, अर्हता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अधधीन, उनके कैरियर के दौरान ऊर्ध्ववर्ती संचलन के अनेक अवसर उपलब्ध हैं ।

(iv) प्रोफेसरों के पद स्नातकपूर्व (यूजी) तथा साथ ही स्नातकोत्तर (पीजी) संस्थाओं में सृजित किए जाएंगे । किसी यूजी कॉलेज में प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से सहायक प्रोफेसर का अनुपात सामान्यतः 1 : 2 : 6 के अनुपात में होगा । किसी पीजी कॉलेज में प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर और/अथवा सहायक प्रोफेसर का अनुपात सामान्यतः 1 : 2 के अनुपात में होगा ।

(v) तकनीकी संस्थाओं में प्रोफेसरों के 10 प्रतिशत तक पद 12000 रु के उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में होंगे जिनके लिए अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली पात्रता शर्तें लागू होंगी।

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों के लिए संशोधित वेतन मान, सेवा शर्तें तथा कैरियर संवर्धन स्कीम:

शिक्षकों तथा समकक्ष पदों की विभिन्न श्रेणियों के लिए वेतन संरचना नीचे दर्शाए गए अनुसार होगी:

(क) तकनीकी संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षण कार्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को सहायक प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा तथा उन्हें 6000 रु के एजीपी के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैंड में रखा जाएगा। 8000-13500 रु के पूर्व-संशोधित वेतन मान में पहले ही सेवारत व्याख्याताओं को उक्त 6000 रु के एजीपी के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा।

(ii) 4 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने वाला सहायक प्रोफेसर, जिसके पास प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री धारित हो, 7000 रु के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होगा।

(iii) प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में, जैसाकि तकनीकी शिक्षा के लिए परिभाषित है, निष्णात डिग्री धारण करने वाला सहायक प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के रूप में 5 वर्ष की सेवा पूरी करने में उपरांत 7000 रु के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(iv) ऐसा सहायक प्रोफेसर, जिसके पास किसी कार्यक्रम की प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. अथवा निष्णात डिग्री नहीं है, सहायक प्रोफेसर के रूप में 6 वर्ष की सेवा पूरी करने के उपरांत ही 7000 रु के एजीपी के लिए पात्र होगा।

(v) सभी सहायक प्रोफेसरों के लिए 6000 रु के एजीपी से 7000 रु के एजीपी में ऊर्ध्ववर्ती संचलन उनके अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों की पूर्ति के अध्वधीन होगा।

(vi) व्याख्याता (वरिष्ठ मान) के पदों के पदधारियों के वेतन (अर्थात् 10000-15200 रु का पूर्व-संशोधित मान) को सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनःपदनामित किया जाएगा तथा उसे उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 15600-39100 रु के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा, जिसका एजीपी 7000 रु होगा।

(vii) 7000 रु के एजीपी के साथ 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर, अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य अपेक्षाओं के अध्वधीन, 8000 रु के एजीपी में जाने के लिए पात्र होंगे।

(viii) एसोसिएट प्रोफेसरो के पद 9000 रु के एजीपी के साथ 37400-67000 रु के वेतन बैड में होंगे। सीधे भर्ती हुए एसोसिएट प्रोफेसरो को 9000 रु के एजीपी के साथ 37400-67000 रु के वेतन बैड में नियुक्ति की शर्तो के निबधनों के अनुसार उपयुक्त अवस्था में रखा जाएगा।

(ix) पदधारी सहायक प्रोफेसर तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 12000-18300 रु के पूर्व-संशोधित वेतनमान में 1.1.2006 को 3 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, 9000 रु के एजीपी के साथ 37400-67000 रु के वेतन बैड में रखे जाएंगे तथा उन्हें एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(x) पदधारी सहायक प्रोफेसर तथा पदधारी व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) जिन्होंने 1.1.2006 को 12000-18300 रु के वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, उस समय तक 8000 रु के एजीपी के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैड में उपयुक्त अवस्था पर रखे जाएंगे, जब तक वे व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं कर लेते, तथा उसके पश्चात उन्हें 37400-67000 रु के उच्च वेतन बैड में रखा जाएगा तथा तदनुसार सहायक प्रोफेसर पदनामित किया जाएगा।

(xi) वर्तमान में सेवारत व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) को तब तक, यथास्थिति, व्याख्याता (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा, जब तक वे 37400-67000 रु के वेतन बैड में नहीं रखे जाते हैं, तथा उपर्युक्त (x) में वर्णित रीति से सहायक प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित नहीं किया जाते हैं।

(xii) 8000 रु के एजीपी के साथ शिक्षण के 3 वर्ष पूर्ण करने वाले सहायक प्रोफेसर, अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट अन्य शर्तो के अध्वधीन, 9000 रु के एजीपी के साथ 37400-67000 रु के वेतन बैड में रखे जाने तथा एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में पुनः पदनामित किए जाने के पात्र होंगे।

(xiii) 9000 रु के एजीपी में 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले तथा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. धारण करने वाले एसोसिएट प्रोफेसर अभातशिप द्वारा यथानिर्दिष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन की अन्य शर्तो के अध्वधीन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जाने तथा पदनामित किए जाने के पात्र होंगे। पीएच.डी. धारण करने वालों के अलावा कोई अन्य शिक्षक प्रोफेसर के रूप में प्रोन्नत, नियुक्त अथवा पदनामित नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर के पद के लिए वेतन बैड 10000 रु के एजीपी के साथ 37400-67000 रु होगा।

(xiv) सीधे भर्ती हुए प्रोफेसर का वेतन 37400-67000 रु के वेतन बैड में 43000 रु से अन्यून अवस्था में नियत किया जाएगा, जिसमें लागू एजीपी 10000 रु होगी।

(xv) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में प्रोफेसरो के दस प्रतिशत पद 12000 रु के उच्च एजीपी में होंगे, तथापि, पदों पर नियुक्त शिक्षक प्रोफेसर के रूप में पदनामित रहना जारी रहेंगे। उच्च शैक्षणिक ग्रेड वेतन में प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अर्हता अभातशिप द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगी तथा ऐसी अर्हता शर्तो में, अन्य बातों के साथ-साथ, समकक्ष पुनरीक्षा/संदर्भित शोध जर्नलों में प्रकाशन कार्य शामिल होगा तथा प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष के शिक्षण और उच्च स्तर के पोस्ट-डॉक्टरल कार्य की अपेक्षा भी शामिल होगी। 12000 रु की एजीपी में

प्रोफेसर के रूप में सीधे भर्ती हुए किसी भी व्यक्ति को एजीपी के साथ 48000 रु० से कम की अवस्था पर नियत नहीं किया जाएगा।

(xvi) एसोसिएट प्रोफेसर तथा प्रोफेसर के स्तर पर प्रारंभिक सीधी-भर्ती के लिए शैक्षणिक एवं शोध अपेक्षाओं के संबंध में पात्रता शर्तें वे होंगी, जो अभातशिप द्वारा विनियमों के माध्यम से निर्दिष्ट की जाएं अथवा निर्दिष्ट की गई हैं तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित की गई हैं।

(xvii) ऐसे व्यक्तियों के लिए, जो उच्चतर योग्यता, शोध प्रकाशनों की उच्च संख्या तथा उपयुक्त स्तर पर अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के रूप में व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, अग्रिम वेतन-वृद्धियों का विवेकपूर्ण रूप से प्रदान किया जाना संबंधित विश्वविद्यालय तथा नियोजन संस्था के उपयुक्त प्राधिकारी की समक्षता के अधीन होगा जिसके लिए संकाय में अन्य शिक्षकों की वेतन संरचना तथा अन्य विशिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के गुणागुण के संदर्भ में वैयक्तिक उम्मीदवारों के साथ बातचीत की जाएगी।

(xviii) विभिन्न संवर्गों में उच्चतर ग्रेड वेतन में सभी संवर्धन अभातशिप अनुमोदित दो सप्ताह प्रत्येक से अन्यून दो पुनश्चर्या कार्यक्रमों तथा एक सप्ताह प्रत्येक के दो टीईक्यूआईपी प्रायोजित कार्यक्रमों की समाप्ति के अध्यधीन प्रभावी किए जाएंगे।

कॉलेजों में प्राचार्यों/निदेशकों के वेतन मान:

तकनीकी संस्थाओं में प्राचार्यों के पदों के लिए नियुक्तियां अभातशिप द्वारा समय-समय पर निर्धारित शैक्षणिक अर्हताओं और शिक्षण/शोध अनुभव के संबंध में अर्हता शर्तों के आधार पर होगी, तथा प्राचार्य का पद 10,000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में होगा, जिसमें 2000 रु० प्रतिमाह का विशेष भत्ता भी शामिल होगा। सेवारत सभी प्राचार्यों को 10000 रु० के एजीपी के साथ वेतन बैंड में उपयुक्ततः नियत किया जाएगा तथा उन्हें 3000 रु० प्रतिमाह के विशेष भत्ता भी दिया जाएगा।

पुस्तकालयाध्यक्षों आदि के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष:

(i) 8000-13500 रु० के पूर्व-संशोधित वेतन मान वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को 6000 रु० के एजीपी के साथ 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष की सीधी भर्ती के लिए अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक योग्यताओं की सभी शर्तें लागू होंगी।

सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान):

(i) 10000—15200 रु० के पूर्व-संशोधित वेतन मान में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) के पदों को 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, 6000 रु० के एजीपी में 4 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iii) प्रवेश स्तर पर पीएच.डी. धारण न करने वाले परंतु पुस्तकालय विज्ञान में केवल एम.फिल रखने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, 6000 रु० के एजीपी में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत, तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के उच्च एजीपी के लिए पात्र बन जाएंगे।

(iv) 6000 रु० के एजीपी में 6 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत प्रासंगिक पीएच.डी. और एम.फिल न धारण करने वाले सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष, यदि अभातशिप द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु० के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(v) 10000—15000 रु० के पूर्व-संशोधित वेतन मान में विद्यमान सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) का वेतन उनके वर्तमान वेतन के आधार पर 7000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन मान में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)

(i) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष, जो सीधी भर्ती पर आए हैं, भर्ती के समय प्रारंभिक रूप से 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में रखे जाएंगे।

(ii) 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान), उनके द्वारा अभातशिप द्वारा यथानिर्धारित पात्रता की अन्य शर्तों के पूरा करने पर (जैसे उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के लिए पीएच.डी. डिग्री अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य आदि), 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद/समकक्ष पद के लिए पात्र होंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनाम दिया जाएगा।

(iii) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद तथा उसके समकक्ष पदों के लिए प्रोन्नति के संबंध में प्रवरण ग्रेड समिति द्वारा चयन की विद्यमान प्रक्रिया जारी रहेगी।

१६२ GI/१०-२

(iv) 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में 3 वर्ष पूर्ण करने के पश्चात उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/समकक्ष पद अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की अन्य शर्तों की पूर्ति के अधीन 9000 रु० के एजीपी तथा 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

(v) 7000 रु० के एजीपी में विश्वविद्यालयों में सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (वरिष्ठ मान) भी, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. अथवा समकक्ष प्रकाशित कार्य नहीं है, परंतु जो अभातशिप द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य मानदण्डों को पूरा करते हैं, 8000 रु० के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(vi) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को 12000—18300 के पूर्व-संशोधित वेतन मान में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किए जाएंगे। उन्हें उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(vii) उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के पदों के पदधारक, जिन्होंने 37400—57000 रु० के उच्च वेतन बैंड में रखे जाने के लिए पात्र होने के लिए 12000—18300 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में तीन वर्ष की आवश्यकता को पूरा नहीं किया है, उप-पुस्तकालयाध्यक्ष/सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण होने तक 8000 रु० के शैक्षणिक ग्रेड वेतन के साथ उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(viii) सीधे भर्ती हुए उप-पुस्तकालयाध्यक्षों के संबंध में वेतन 8000 रु० के एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में प्रारंभिक रूप से नियत किया जाएगा। वे 8000 रु० के एजीपी में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400—67000 रु० के वेतनमान में चले जाएंगे।

(ix) अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट पात्रता की विद्यमान शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यताएं उप-पुस्तकालयाध्यक्ष के पद हेतु सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए वेतन मान तथा कैरियर संवर्धन स्कीम:

(क) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (सहायक डीपीई)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (कॉलेज डीपीई)

(i) 8000—13000 रु० के पूर्व-संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक निदेशक/कॉलेज डीपीई को 6000 रु० की एजीपी के साथ 15600—39100 रु० के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(ii) पदधारी सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुरूप, 6000 रु के एजीपी के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था पर नियत किया जाएगा।

(iii) अभातशिप द्वारा निर्धारित पात्रता तथा शैक्षणिक अर्हताओं की समस्त विद्यमान शर्तें सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई की सीधी भर्ती के लिए लागू रहना जारी रहेंगी।

(ख) सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान)

(i) 10000-15200 रु के पूर्व-संशोधित वेतनमान में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को 7000 रु के एजीपी के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैंड में रखा जाएगा।

(ii) 6000 रु के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) को, 6000 रु के एजीपी में चार वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 15600-39100 रु के वेतन बैंड में 7000 रु के उच्च एजीपी में चले जाएंगे।

(iii) 6000 रु के एजीपी में सहायक डीपीई/कॉलेज डीपीई के प्रवेश स्तर पर शारीरिक शिक्षा में एम. फिल धारण करने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 6000 रु के एजीपी में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, 7000 रु के उच्च एजीपी के लिए पात्र होंगे।

(iv) प्रासंगिक पीएच.डी. तथा एम.फिल न रखने वाले सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई, 6000 रु के एजीपी में सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक/कॉलेज डीपीई के रूप में छह वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात, तथा अभातशिप द्वारा निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्यथा पात्र होने पर, 7000 रु के एजीपी में रखे जाने के लिए पात्र होंगे।

(v) पदधारक सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) का वेतन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के 'नियतन सूत्र' के अनुसार 7000 रु के एजीपी में 15600-39100 रु के वेतन बैंड में उपयुक्त अवस्था में नियत किया जाएगा।

(ग) उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज शारीरिक शिक्षा निदेशक (प्रवरण ग्रेड)

(i) 7000 रु के एजीपी के साथ 15600-39100 रु के वेतन बैंड में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों की संतुष्टि के अध्यधीन, सहायक शारीरिक शिक्षा निदेशक (वरिष्ठ मान)/कॉलेज डीपीई (वरिष्ठ मान) 15600-39100 रु के वेतन बैंड में 8000 रु के एजीपी में चले जाएंगे। उन्हें, यथास्थिति, उप-शारीरिक शिक्षा निदेशक/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाएगा।

(ii) 8000 रु० के एजीपी तथा 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात तथा अभातशिप द्वारा निर्धारित मात्रता के अध्यक्षीन, उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड), 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे। उन्हें उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में पदनामित किया जाना जारी रहेगा।

(iii) उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिन्होंने 1.1.2006 को गैर-संशोधित 12000-18300 के वेतन मान में न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में नियतन किए जाने के पात्र होंगे।

(iv) उप-डीपीई/सहायक डीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के पद के सभी पदधारी, जिनकी सेवा गैर-संशोधित वेतनमान 12000-18300 रु० में तीन वर्ष से कम होती है, जोकि उन्हें उच्च वेतन बैंड में जाने के लिए पात्र बना देती, गैर-संशोधित वेतन मान में उप-डीपीई/एडीपीई (प्रवरण ग्रेड)/कॉलेज डीपीई (प्रवरण ग्रेड) के रूप में तीन वर्ष की अपेक्षित सेवा पूर्ण कर लेने तक 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी पर उपयुक्त अवस्था में रखे जाएंगे।

(v) सीधे भर्ती हुए उप-डीपीई का वेतन आरंभिक तौर पर 15600-39100 रु० के वेतन बैंड में 8000 रु० के एजीपी के साथ नियत किया जाएगा, तथा 3 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, सीधे भर्ती हुए उप-डीपीई और समकक्ष पदधारक, 9000 रु० के एजीपी के साथ 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में चले जाएंगे।

पीएच.डी./एम.टैक तथा अन्य उच्च योग्यताओं के लिए प्रोत्साहन:

(i) यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट पंजीकरण, पाठ्यक्रम-कार्य तथा बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया का अनुपालन करने के पश्चात किसी विश्वविद्यालय द्वारा प्रासंगिक विषय-क्षेत्र में प्रदान की गई पीएच.डी. की डिग्री धारण करने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के प्रवेश स्तर पर पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी।

(ii) व्याख्यता के पद पर नियुक्ति के समय एम.फिल. डिग्रीधारक दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iii) किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में, जैसे किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.टैक, स्नातकोत्तर डिग्री धारण करने वाले भी प्रवेश स्तर पर दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(iv) ऐसे अध्यापक, जो सेवा में रहते हुए अपनी पीएच.डी. डिग्री पूरी करते हैं, तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लिए पात्र होंगे, यदि ऐसी पीएच.डी. प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में है तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य एवं मूल्यांकन आदि के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए प्रदान की गई है।

(v) तथापि, सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी अधिसूचित नहीं किया गया है।

(vi) सेवाकालीन ऐसे अध्यापक, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं किया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों के लाभ ले सकेंगे, यदि ऐसा नामांकन यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय के साथ किया गया है।

(vii) ऐसे अध्यापक जो सेवा के दौरान किसी सांविधिक विश्वविद्यालय द्वारा मान्यताप्राप्त प्रासंगिक शाखा/विषय-क्षेत्र में एम.फिल अथवा एम.टैक डिग्री अर्जित करते हैं, एक अग्रिम वेतन-वृद्धि के पात्र होंगे।

(viii) ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को पांच गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां अनुमेय होंगी जो प्रवेश स्तर पर किसी ऐसे विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. के साथ भर्ती हुआ हो, जिसने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया हो।

(ix) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा अन्य पुस्तकालय कार्मिक, जिन्होंने सेवा काल के दौरान किसी भी समय, नामांकन, पाठ्यक्रम-कार्य तथा मूल्यांकन के संबंध में यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन करने वाले किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान के विषय-क्षेत्र में पीएच.डी. की डिग्री अर्जित कर ली है, तीन गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियों के पात्र होंगे।

(x) तथापि, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर पदों के व्यक्ति, जिन्हें जिन्हें इस स्कीम के प्रवृत्त होने के समय पीएच.डी. प्रदान की गई है अथवा जिन्होंने पुस्तकालय विज्ञान में पीएच.डी. के लिए नामांकित हो चुकने पर पाठ्यक्रम-कार्य, यदि कोई है, तथा साथ ही मूल्यांकन भी पहले ही कर लिया है, तथा केवल पीएच.डी. प्रदान किए जाने के संबंध में अधिसूचना की ही प्रतीक्षा की जा रही है, वे भी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों को पाने के लिए पात्र होंगे, भले ही ऐसी पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय अभी यूजीसी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के साथ सहयोजित होने के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है।

(xi) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों अथवा उच्चतर स्थितियों के व्यक्तियों के प्रत्येक अन्य मामले के संबंध में, जिन्होंने पहले ही पीएच.डी. के लिए नामांकन करा लिया है, वे तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धियों का लाभ तभी उठाएंगे यदि पीएच.डी. प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय यूजीसी से अधिसूचित है, तथा उसने, यथास्थिति, पाठ्यक्रम-कार्य अथवा मूल्यांकन के लिए अथवा दोनों ही के संबंध में पीएच.डी. प्रदान करने के लिए यूजीसी द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुपालन किया है।

वेतन 'नियतन' सूत्रः

(xii) सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा सेवा काल में उच्च पुस्तकालय पदों में नियुक्ति व्यक्ति, जिन्होंने पीएच.डी. के लिए अभी नामांकन नहीं कराया है, सेवा काल में पीएच.डी. प्राप्त होने पर केवल तभी तीन गैर-चक्रवर्ती वेतन-वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे, जब ऐसा नामांकन ऐसे विश्वविद्यालय के साथ किया गया हो, जो नामांकन सहित यूजीसी द्वारा यथानिर्दिष्ट समस्त प्रक्रिया का अनुपालन करता हो।

(xiii) दो गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां ऐसे सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष को भी अनुमेय होंगी जिनके पास प्रवेश स्तर पर पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री होगी। सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष/कॉलेज पुस्तकालयाध्यक्ष तथा ऐसे उच्च स्थितियों के कार्मिक, जिनके पास उनके सेवा काल के दौरान किसी भी समय पुस्तकालय विज्ञान में एम.फिल डिग्री अर्जित है, वे भी एक अग्रिम वेतन-वृद्धि के पात्र होंगे।

(xiv) पूर्ववर्ती खंडों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे कर्मी जिन्होंने पूर्व स्कीम के अंतर्गत प्रवेश स्तर पर पीएच.डी./एम. टैक धारण करने के लिए अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ पहले ही उठा लिया है, इस स्कीम के अंतर्गत अग्रिम वेतनवृद्धियों के लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।

(xv) प्रवेश स्तर पर ऐसे पदों के लिए, जहां पूर्व स्कीम के अंतर्गत पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए ऐसी कोई वेतनवृद्धि अनुमेय नहीं थी, केवल उन्हीं नियुक्तियों को पीएच.डी./एम.टैक धारण करने के लिए पांच अग्रिम वेतन-वृद्धियों का लाभ उपलब्ध रहेंगे, जो इस स्कीम के प्रवृत्त होने पर अथवा इसके पश्चात की गई हैं।

अन्य निबंधन और शर्तें:**वेतन-वृद्धियां:**

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतन-वृद्धि वेतन बैंड में अवस्था के लिए यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग के 3 प्रतिशत के समकक्ष होगी।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन-वृद्धि भी यथालागू प्रासंगिक वेतन बैंड तथा एजीपी में वेतन के कुल योग की 3 प्रतिशत की दर से होगी तथा गैर-चक्रवर्ती होगी।

(iii) एजीपी की प्रत्येक उच्च अवस्था पर रखे जाने पर अतिरिक्त वेतन-वृद्धियों की संख्या निम्न वेतन मान से उच्च वेतन मान में प्रोन्नति पर वेतनवृद्धि की विद्यमान स्कीम के अनुसार, होगी; तथापि, दो वेतन बैंडों के बीच प्रभावी वेतन में पर्याप्त वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, 15600-39100 रु० के वेतन बैंड से 37400-67000 रु० के वेतन बैंड में संचलन पर कोई अतिरिक्त वेतन-वृद्धि नहीं दी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्वीकार्य छठे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन 'नियतन सूत्र' को तकनीकी शिक्षकों तथा पुस्तकालय संवर्गों में समकक्ष पदों के लिए अपनाया जाएगा।

भत्ते:

(i) शिक्षकों तथा पुस्तकालय और शारीरिक शिक्षा संवर्गों के लिए यथालागू भत्ते जैसे अवकाश यात्रा रियायत, विशेष प्रतिपूर्ति भत्ते, बालक शिक्षा भत्ता, परिवहन भत्ता, मकान किराया भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षेत्र आधारित विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता आदि उन्हीं के भत्तों के समकक्ष होंगे, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए स्वीकार किए गए हैं तथा 01.09.2008 से लागू होंगे।

(ii) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में तकनीकी शिक्षकों तथा अभातशिप द्वारा यथापरिभाषित पुस्तकालय में समकक्ष पदों के लिए केन्द्रीय सरकार समूह 'क' कर्मचारियों के लिए यथालागू भत्तों की दरें अपनाई जाएंगी।

(iii) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पॉलीटेक्नीक तकनीकी शिक्षकों तथा अभातशिप द्वारा यथापरिभाषित पुस्तकालय में समकक्ष पदधारी, जो 'निःशक्त व्यक्ति (अधिकारों, समान अवसरों और पूर्ण सहभागिता का संरक्षण) अधिनियम, 1995 के उपबंधों के अंतर्गत दृश्य, अस्थि-संबंधी, श्रव्य अथवा अन्य निःशक्ताओं से ग्रसित हैं, परिवहन भत्ते की समान्य दर से दोगुने के लिए पात्र होंगे, जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा निःशक्त केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर स्वीकार किया गया है।

अध्ययन अवकाश:

अभातशिप सेवाकाल के दौरान प्रासंगिक शाखा/विषय क्षेत्र में एम. टैक तथा पीएच.डी. अर्जित करने के लिए सवेतन अध्ययन अवकाश के संबंध में अपने दिशा-निर्देशों को, तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के लिए रिक्त पदों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रवेश के पश्चात रखे जाने वाले वर्षों की संख्या में छूट देते हुए संशोधित करेगी, ताकि पीएच.डी. अथवा उच्च योग्यता के बिना सेवा में प्रवेश करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उनके कैरियर में बाद के वर्षों के स्थान पर शीघ्रतिशीघ्र प्रासंगिक विषय-क्षेत्रों में ये अर्हताएं अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

शिक्षकों के लिए विश्राम अवकाश:

तकनीकी शिक्षा तथा उद्योग के बीच अंतरसंपर्कों को प्रोत्साहित करने के लिए इंजीनियरी कॉलेज में संकाय सदस्य को छह वर्ष की शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात किसी उद्योग में कार्य करने के लिए छह माह का विश्राम अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए। तथापि, ऐसा अवकाश शिक्षक को उसके शिक्षण कैरियर में केवल दो बार ही उपलब्ध होगा।

शोध संवर्धन अनुदान:

अभातशिप समस्त विषय-क्षेत्रों में शोध-कार्य करने वाले शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों को उपयुक्त 'प्रारंभिक अनुदान' प्रदान करने के माध्यम से उपयुक्त दिशा-निर्देशों के साथ एक स्कीम विनिर्दिष्ट करेगी, जिसमें "बुनियादी विज्ञान शोध को मजबूत बनाने पर प्रो० एम.एम. शर्मा समिति" द्वारा यथाअनुशंसित बुनियादी विज्ञान शोध भी शामिल होगा।

अधिवर्षिता की आयु:

(i) तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति तथा इसके परिणामस्वरूप उनमें विद्यमान खाली पदों से निपटने के लिए, पात्र लोगों को शिक्षण कैरियर में आकर्षित करने तथा एक लंबे समय तक शिक्षकों को सेवा में बनाए रखने के लिए क्लास रूम शिक्षा में शामिल शिक्षकों के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग के पत्र सं० एफ० सं० 1-19/2001-यू-II दिनांक 23.3.2007 के माध्यम से तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु को पैंसठ वर्ष तक बढ़ाया गया है।

(ii) रिक्त स्थानों की उपलब्धता तथा शारीरिक सक्षमता के अध्यधीन, शिक्षक साठ वर्ष की आयु के पश्चात सत्तर वर्ष की आयु तक संविदा नियुक्ति पर पुनःनियोजित भी किए जाएंगे। तथापि, अधिवर्षिता की आयु के पश्चात पुनःनियोजन चयनात्मक आधार पर प्रथम बार तीन वर्ष की सीमित अवधि के लिए तथा उसके पश्चात दो वर्ष की आगे अन्य अवधि के लिए पूर्णतः गुणागुण, अनुभव, विशेषज्ञता के क्षेत्र तथा समकक्ष समूह पुनरीक्षा के आधार पर किया जाएगा तथा ऐसा पात्र शिक्षकों के चयन अथवा प्रोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किए बगैर केवल उपलब्ध रिक्त पदों के लिए ही किया जाएगा।

(iii) जबकि क्लास रूम शिक्षण में लगे शिक्षकों के लिए अधिवर्षिता की आयु में वृद्धि का आशय योग्य व्यक्तियों को शिक्षण कैरियर के प्रति आकर्षित करना तथा शिक्षकों को एक लंबी अवधि तक सेवा में बनाए रखने के माध्यम से शिक्षकों के अभाव को दूर करना है, तथा जबकि पुस्तकालय की श्रेणियों में कोई ऐसा अभाव नहीं है, वर्तमान अधिवर्षिता की बासठ वर्ष की आयु में वृद्धि पुस्तकालय श्रेणियों के लिए लागू नहीं होगी।

पेंशन:

(i) अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पेंशन प्राप्त कर रहे शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथालागू पेंशन तथा गेच्युटी के लिए केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे।

(ii) 1.1.2004 से लागू नई पेंशन स्कीम को ध्यान में रखते हुए, पेंशन के संपरिवर्तन के लिए किसी भी नए मामले को अनुमति नहीं दी जाएगी।

परिवार पेंशन:

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित परिवार पेंशन की सुविधाएं तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों के लिए उपलब्ध होंगी।

(i) **वरिष्ठ पेंशनरों को पेंशन का अतिरिक्त परिमाण:** छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के वरिष्ठ पेंशनरों के लिए स्वीकार किए गए अतिरिक्त परिमाण की सुविधा उन व्यक्तियों को भी प्राप्त होगी जो अस्सी वर्ष की आयु प्राप्त करने पर शिक्षण तथा अन्य संवर्गों में हैं अथवा थे, यदि वे अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पेंशन स्कीमों में पहले से ही विद्यमान हैं।

(ii) **गेच्युटी और अवकाश का भुगतान:** छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्वीकार की गई गेच्युटी तथा अवकाश-भुगतान की सुविधाएं अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों के संवर्गों के लिए भी लागू रहेंगी।

(iii) **उपदान प्रतिपूर्ति:** शिक्षकों तथा अन्य संवर्गों, जिनकी उनकी वास्तविक ड्यूटी के निष्पादन के दौरान मृत्यु हो जाती है, के परिवारों को उसी रीति से प्रतिपूर्ति की जाएगी, जैसीकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समकक्ष परिवारों को की जाती है।

भविष्य निधि:

(i) अंशदायिक भविष्य निधि के संबंध में वर्तमान नीति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति जारी रहेगी।

परामर्शी कार्य:

अभातशिप एक उपयुक्त मॉडल तैयार करेगा जिसके लिए संस्थाओं तथा परामर्शी-शिक्षकों के बीच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान तथा अन्य संस्थाओं में विद्यमान राजस्व साझेदारी को ध्यान में रखा जाएगा।

पिछली पीआरसी में विसंगतियां:

पिछली वेतन पुनरीक्षा समिति की विसंगतियों तथा गैर-क्रियान्वित सिफारिशों, यदि कोई हैं, की अभातशिप द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ परामर्श करके जांच की जाएगी।

962 GT/10-4

पीआरसी तथा अभातशिप की अन्य सिफारिशें:

वेतन पुनरीक्षा समिति तथा अभातशिप द्वारा विभिन्न चयन प्रक्रियाओं, सेवा और कार्य शर्तों, प्रशिक्षण/पुनश्चर्चा पाठ्यक्रमों आदि के संबंध में की गई सिफारिशों पर अभातशिप द्वारा, जहां कहीं अपेक्षित होगा, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के साथ, अथवा अभातशिप अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप परिषद के विनियमों के अंतर्गत उपयुक्त रूप से विचार किया जाएगा।

व्यावसायिक विकास के लिए अनुदान:

(i) नए संकाय प्रवेशकर्ताओं को कम्प्यूटर, शिक्षण सामग्री जिसमें पुस्तकें, शोध सहायक-उपस्कर तथा कार्यालय सामग्री आदि शामिल है, खरीदने के लिए 1 लाख रु० का एकबारीय प्रारंभिक अनुदान दिया जाएगा। विद्यमान शिक्षकों को भी कम्प्यूटर की खरीद के लिए, जिसमें कम्प्यूटर के उन्नयन अथवा नए कम्प्यूटर खरीदने (विशेष रूप से वे, जिन्होंने ऐसी सुविधाएं पूर्व में भी हासिल की हैं), पुस्तकें एवं शोध सहायक-उपस्कर सहित शिक्षण सामग्री के लिए 1 लाख रु० तक का प्रोत्साहन अनुदान दिया जाएगा।

(ii) सभी शिक्षकों को व्यावसायिक सोसाइटियों की सदस्यता हासिल करने के लिए तथा राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं आदि में भाग लेने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर 2 लाख रु० का अनुदान दिया जाएगा।

स्कीम की प्रयोज्यता:

(i) यह स्कीम तकनीकी संस्थाओं में शिक्षकों तथा समस्त अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं में पुस्तकालय के अन्य समकक्ष संवर्गों तथा शारीरिक शिक्षा कार्मिकों के लिए लागू होगी। संशोधित वेतनमानों का क्रियान्वयन इस पत्र में उल्लिखित तथा इस संबंध में अभातशिप द्वारा तैयार किए जाने वाले विनियमों की स्वीकृति के अध्यक्षीन होगा।

(ii) यह स्कीम व्यावसायिक पदों जैसे प्रणाली विश्लेषक, वरिष्ठ विश्लेषक, अनुसंधान अधिकारी आदि तक विस्तारित नहीं की गई है, जिन्हें केन्द्रीय सरकार के शोध/वैज्ञानिक संगठनों में समान अर्हक कार्मिकों के समकक्ष माना जाता है।

(iii) यह स्कीम राज्य विधानमण्डलों के अंतर्गत आने वाली समस्त तकनीकी संस्थाओं पर लागू होगी बशर्ते कि राज्य सरकार निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर स्कीम को अपनाता और कार्यान्वित करना चाहती है।

स्कीम के अंतर्गत शामिल शिक्षकों तथा अन्य समकक्ष संवर्ग के वेतन मानों को संशोधित करने का विकल्प देने वाली राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता संशोधन के कार्यान्वयन में शामिल अतिरिक्त व्यय के 80 प्रतिशत (अस्सी प्रतिशत) तक ही सीमित होगी।

वेतन के संशोधन के लिए विकल्प देने वाली राज्य सरकार अतिरिक्त व्यय की शेष 20 प्रतिशत (बीस प्रतिशत) पूर्ति अपने संसाधनों से करेगी।

उक्त उप-खंड (क) में निर्दिष्ट वित्तीय सहायता 01.01.2006 से 31.03.2010 तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

अभातशिप अनुमोदित संस्थाओं के शिक्षकों के वेतन मानों के संशोधन का समस्त दायित्व वेतन मानों के संशोधन के लिए विकल्प देने वाली राज्य सरकार द्वारा 01.04.2010 से ग्रहण कर लिया जाएगा।

केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता केवल उन्हें पदों के संबंध में वेतन मानों के संशोधन तक ही सीमित होगी, जो विद्यमान थे तथा जिन्हें 01.01.2006 को भरा गया है।

राज्य सरकारें, अन्य स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक के अनुसार, इस स्कीम में उल्लिखित वेतनमानों से उच्च वेतनमान लागू करने पर भी निर्णय ले सकेंगी, तथा संशोधित बैंडों/वेतनमानों को 1.1.2006 को अथवा उसके पश्चात की तारीख को प्रवृत्त कर सकेंगी, तथापि, ऐसे मामलों में प्रस्तावित आशोधनों के विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजे जाएंगे तथा केन्द्रीय सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित वेतन बैंडों तक ही सीमित रहेगी तथा राज्य सरकारों द्वारा नियत किसी अन्य उच्च वेतन मान के लिए लागू नहीं होगी।

इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सहायता को भुगतान इस शर्त के अधधीन है कि अभातशिप द्वारा विनियमों तथा अन्य दिशा-निर्देशों के माध्यम से निर्धारित सभी शर्तों के साथ वेतन मानों के संशोधन की समस्त स्कीम राज्य सरकार द्वारा तथा उनके अधिकारक्षेत्र में आने वाली तकनीकी संस्थाओं द्वारा एक सम्मिश्रित स्कीम के रूप में कार्यान्वित की जाएगी, जिसमें उक्तसंदर्भित वेतन मानों के कार्यान्वयन की तारीख के अलावा कोई और आशोधन नहीं किया जाएगा।

संशोधित वेतन तथा भत्तों के क्रियान्वयन की तारीख और देय-राशि का भुगतान:

(i) इस स्कीम के अंतर्गत वेतन तथा मंहगाई भत्ते की संशोधित दर 01.01.2006 से प्रभावी होगी। संशोधित दरें तथा अन्य सभी लागू भत्ते जैसे मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, बालक शिक्षा भत्ता आदि तथा गैर-चक्रवर्ती अग्रिम वेतन-वृद्धियां 01.09.2008 से प्रभावी होंगी।

(ii) सकल देय-राशि की 40 प्रतिशत देय राशि का भुगतान, लागू आयकर की कटौती करने के पश्चात, चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2009-10 के दौरान कर दिया जाएगा।

(iii) इस स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी से इस आशय का वचन लिया जाएगा कि यदि संशोधित वेतन बैंडों में वेतन के गलत नियतन अथवा अनुपयुक्त वेतन बैंड/शैक्षणिक ग्रेड वेतन

प्रदान किए जाने अथवा किसी अन्य अधिक भुगतान के किए जाने के परिणामस्वरूप की गई अधिक अदायगी का समायोजन लाभार्थी को देय भागी भुगतानों अथवा अन्यथा से उसी रीति से किया जाएगा जैसीकि वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा. सं० एफ 1-1/2. सीक्यू 8-आईसी दिनांक 30.08.2008 के साथ पठित इस मंत्रालय के का०ज्ञा० सं० 23-7/2008-आईएफडी दिनांक 23.10.2008 में उपबंधित है।

लागू भत्तों तथा ऊपर उल्लिखित वेतन की देय-राशि के साथ प्रासंगिक वेतन बैंड तथा शैक्षणिक ग्रेड वेतन में संशोधित वेतन का भुगतान इस स्कीम के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को अभातशिप द्वारा विनियमों के जारी होने तक जाएगा।

यह स्कीम वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के का.ज्ञा. सं० एफ. 7-23/2008-ई. III दिनांक 30.09.2009 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अध्वधीन है।

इस स्कीम के क्रियान्वयन में विसंगतियां, यदि कोई हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्पष्टीकरण/निर्णय के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा अभातशिप के ध्यान में लाई जाएं।

संकाय मानदण्ड

पद	संवर्ग	अर्हता	अनुभव
इंजीनियरी/ प्रौद्योगिकी	सहायक प्रोफेसर	बीई/बीटैक अथवा एमई/एम टैक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ प्रासंगिक शाखा में बीई/बीटैक अथवा एमई/एम टैक	
एमसीए	सहायक प्रोफेसर	बीई/बीटैक अथवा एमई/एम टैक में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ प्रासंगिक शाखा में बीई/बीटैक अथवा एमई/एम टैक अथवा बीई/बीटैक अथवा एमसीए में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बीई/बीटैक और एमसीए अथवा दो वर्ष के प्रासंगिक अनुभव के साथ प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एमसीए	
प्रबंधन	सहायक प्रोफेसर	व्यवसाय प्रशासन अथवा समकक्ष में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में निष्णात डिग्री अथवा दो वर्ष का प्रासंगिक अनुभव वांछनीय है	
भेषजी	सहायक प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी स्नातक अथवा निष्णात डिग्री के साथ भेषजी में स्नातक और निष्णात डिग्री	
एचएमसीटी	सहायक प्रोफेसर	स्नातक में प्रथम श्रेणी (10+2 के बाद एचएमसीटी में 3 वर्षीय डिग्री अथवा डिप्लोमा) अथवा समकक्ष और प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ होटल प्रबंधन और	

		खानपान प्रौद्योगिकी में निष्णात डिग्री अथवा 8 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव अथवा स्नातक में प्रथम श्रेणी की 4 वर्षीय डिग्री अथवा समकक्ष और प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष के साथ होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी में निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष अथवा 7 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव	
वास्तुकला	सहायक प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी डिग्री अथवा समकक्ष स्नातक अथवा निष्णात डिग्री के साथ वास्तुकला में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष	
नगर आयोजना	सहायक प्रोफेसर	स्नातक अथवा निष्णात में प्रथम श्रेणी डिग्री अथवा समकक्ष के साथ नगर आयोजना में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष	
ललित कला	सहायक प्रोफेसर	प्रथम श्रेणी डिग्री अथवा समकक्ष स्नातक अथवा निष्णात डिग्री के साथ ललित कला की उपयुक्त शाखा (अनुप्रयुक्त कला, चित्रकला और मूर्तिकला) में स्नातक अथवा निष्णात डिग्री	
	एसो. प्रोफेसर	सहायक प्रोफेसर के पद के लिए उपर्युक्तानुसार अर्हताएं यथालागू तथा उपयुक्त विषयक्षेत्र में पीएच.डी. अथवा समकक्ष पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव जिसमें से 2 वर्षीय पोस्ट पीएच.डी. अनुभव वांछनीय है। वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।
	प्रोफेसर	उक्त अर्हताएं अर्थात् एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए, लागू पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय	शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव जिसमें से न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव एसोसिएट प्रोफेसर स्तर पर होना चाहिए। अथवा शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्ष का अनुभव। शोध अनुभव के मामले में, बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुस्तक/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों के रिकॉर्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे।

		<p>यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।</p> <p>वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 5 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा।</p>
	<p>प्राचार्य / निदेशक</p>	<p>उपर्युक्तानुसार अर्हताएं अर्थात् प्रोफेसर के पर के लिए, यथालागू</p> <p>पोस्ट पीएच.डी. प्रकाशन तथा पीएच.डी. छात्रों को गाइड करना अत्यंत वांछनीय</p> <p>शिक्षण/शोध/उद्योग में न्यूनतम 10 वर्ष का प्रासंगिक अनुभव जिसमें न्यूनतम 3 वर्ष प्रोफेसर के स्तर पर होना चाहिए</p> <p>शोध अनुभव के मामले में, बेहतर शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा पुरतक/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों के रिकॉर्ड प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझे जाने पर अपेक्षित होंगे।</p> <p>यदि उद्योग में अनुभव पर विचार किया जाता है, तो यह प्रबंधकीय स्तर का होना चाहिए, जो विभाग अध्यक्ष के समकक्ष हो तथा जिसमें डिजाइनिंग, आयोजन, कार्यकारी, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, अभिनवता, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों/शोध-पत्र प्रकाशन/आईपीआर/पेटेंटों, आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो, जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।</p> <p>विभागाध्यक्ष और प्राचार्य के पद के लिए प्रबंधन और नेतृत्व के लिए अभिरूचि अनिवार्य है,</p>

		जैसाकि प्रवरण समिति के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा आवश्यक समझा जाए।
		वास्तुकला के मामले में, वास्तुकला परिषद द्वारा यथाप्रमाणित 10 वर्ष के व्यावसायिक कार्य पर भी वैध रूप में विचार किया जाएगा

1. पीएच.डी. की समकक्षता 5 अंतरराष्ट्रीय जनरल पत्रों के प्रकाशन पर आधारित है, जिसमें से प्रत्येक जनरल का संचयी प्रभावी सूचकांक 2.0 से कम नहीं होना चाहिए, तथा पदधारक मुख्य लेखक के रूप में होना चाहिए और सभी 5 प्रकाशन लेखक की विशेषज्ञता के क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए।
2. पीएच.डी. एक मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।
3. सहायक प्रोफेसर के पदधारी के लिए, सहायक प्रोफेसर के स्तर पर अनुभव पर एसोसिएट प्रोफेसर के स्तर के अनुभव के समकक्ष विचार किया जाएगा, बशर्ते कि पदधारी सहायक प्राफेसर ने प्रासंगिक विषयक्षेत्र में पीएच.डी. डिग्री हासिल कर ली हो अथवा वह हासिल करता है।
4. डिप्लोमा संस्थाओं के अनुभव पर डिग्री संस्थाओं में अनुभव के समकक्ष उपयुक्त स्तर पर तथा यथालागू अनुसार भी विचार किया जाएगा। तथापि, उपर्युक्त अर्हताएं अनिवार्य होंगी।
5. यदि कोई वर्ग/श्रेणी नहीं दी गई है, योग के न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों को प्रथम /वर्ग/श्रेणी के समकक्ष विचार किया जाएगा। यदि ग्रेड प्वाइंट सिस्टम अपनाया गया है, तो सीजीपीए को निम्नानुसार समकक्ष अंकों में संपरिवर्तित किया जाएगा:—

ग्रेड प्वाइंट	समकक्ष प्रतिशत
6.25	55%
6.75	60%
7.25	65%
7.75	70%
8.25	75%

डॉ. डी. के. पालीवाल, सदस्य सचिव (कार्यवाहक)

[विज्ञापन III/4/162/09-असा.]

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

[Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff in Technical Institutions (Degree) Regulations, 2010]

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th March, 2010

F. No. 37-3/Legal/2010.—In exercise of its powers conferred under sub-section (1) of Section 23 read with Section 10(i) and (v) of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987) the All India Council for Technical Education makes the following Regulations :—

1. Short Title, Application and Commencement:

- 1.1 These Regulations may be called the All India Council for Technical Education (Pay Scales, Service Conditions and Qualifications for the Teachers and other Academic Staff In Technical Institutions (Degree) Regulations, 2010.
- 1.2 They shall apply to technical institutions and Universities including deemed Universities imparting technical education and such other courses / Programs and areas as notified by the Council from time to time.

They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette

General

- (i) There shall be only three designations in respect of teachers in universities and colleges, namely, Assistant Professors, Associate Professors and Professors. However, there shall be no change in the present designation in respect of Library Personnel at various levels.
- (ii) No one shall be eligible to be appointed, promoted or designated as Professor, unless he or she possesses a Ph.D. and satisfies other academic conditions, as laid down by the AICTE from time to time. This shall, however, not affect those who are already designated as 'Professor'.
- (iii) The pay of teachers and equivalent positions in Technical institutions shall be fixed according to their designations in two pay bands of Rs. 15600-39100 and Rs. 37400-67000 with appropriate "Academic Grade Pay" (AGP in short). Each Pay Band shall have different stages of Academic Grade Pay which shall ensure that teachers and other equivalent cadres covered under this Scheme, subject to other conditions of eligibility being satisfied have multiple opportunities for upward movement during their career.
- (iv) Posts of Professors shall be created in under-graduate (UG) institutions as well as in post-graduate (PG) institutions. The ratio of Professors to Associate Professors to Assistant Professors in a UG College shall be in the ratio, ordinarily of 1:2:6. The ratio of Professors to Associate Professors and or Assistant Professor in a PG College shall be in the ratio ordinarily of 1:2
- (v) Up to 10% of the posts of Professors in Technical Institutions shall be in the higher Academic Grade Pay of Rs. 12000 with eligibility conditions to be prescribed by the AICTE as applicable.

Revised Pay Scales, Service conditions and Career Advancement Scheme for teachers and equivalent positions:

The pay structure for different categories of teachers and equivalent positions shall be as indicated below:

(a) Assistant Professor/Associate Professors/Professors In Technical institutions

- (i) Persons entering the teaching profession in Technical Institutions shall be designated as Assistant Professors and shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs.6000. Lecturers already in service in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500, shall be re-designated as Assistant Professors with the said AGP of Rs. 6000.
- (ii) An Assistant Professor with completed service of 4 years, possessing Ph. D Degree in the relevant branch / discipline shall be eligible, for moving up to AGP of Rs. 7000.
- (iii) Assistant Professors possessing Master's degree in the relevant branch / discipline as defined for technical education shall be eligible for the AGP of Rs. 7,000 after completion of 5 years service as Assistant Professor.
- (iv) Assistant Professors who do not have Ph.D or a Master's degree in the relevant branch / discipline of a program shall be eligible for the AGP of Rs. 7,000 only after completion of 6 years' service as Assistant Professor.
- (v) The upward movement from AGP of Rs. 6000 to AGP of Rs. 7000 for all Assistant Professors shall be subject to their satisfying other conditions as laid down by AICTE.
- (vi) The pay of the incumbents to the posts of Lecturer (senior scale) (i.e. the pre-revised scale of Rs. 10,000-15200) shall be re-designated as Assistant Professor, and shall be fixed at the appropriate stage in Pay Band of Rs.15600-39100 based on their present pay, with AGP of Rs. 7000.
- (vii) Assistant Professors with completed service of 5 years at the AGP of Rs. 7000 shall be eligible, subject to other requirements laid down by the AICTE, to move up to the AGP of Rs. 8000.
- (viii) Posts of Associate Professor shall be in the Pay Band of Rs.37400-67000, with AGP of Rs.9000. Directly recruited Associate Professors shall be placed in the Pay Band ' of Rs. 37400-67000 with an AGP of Rs. 9000, at the appropriate stage in the Pay Band in terms of the conditions of appointment.
- (ix) Incumbent Assistant Professor and Incumbent Lecturers (Selection Grade) who have completed 3 years in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed in Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP Pay of Rs. 9000 and shall be re-designated as Associate Professor.
- (x) Incumbent Assistant Professor and Incumbent Lecturers (Selection Grade) who had not completed three years in the pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed at the appropriate stage in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 8000 till they complete 3 years of service in the grade of Lecturer (Selection Grade), and thereafter shall be

962 GI/10-6

placed in the higher Pay Band of Rs.37400-67000 and accordingly re-designated as Associate Professor.

- (xi) Lecturers (Selection Grade) in service at present shall continue to be designated as Lecturer (Selection Grade), as the case may be, until they are placed in the Pay Band of Rs. 37,400-67000 and re-designated as Associate Professor in the manner described in (x) above.
- (xii) Assistant Professors completing 3 years of teaching in the AGP of Rs. 8000 shall be eligible, subject to other conditions, that may be prescribed by AICTE as applicable, to move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000 and to be designated as Associate Professor.
- (xiii) Associate Professor completing 3 years of service in the AGP of Rs. 9000 and possessing a Ph.D. degree in the relevant discipline shall be eligible to be appointed and designated as Professor, subject to other conditions of academic performance as laid down by the AICTE. No teacher other than those with a Ph.D. shall be promoted, appointed or designated as Professor. The Pay Band for the post of Professors shall be Rs.37400-67000 with AGP of Rs. 10000.
- (xiv) The pay of a directly recruited Professor shall be fixed at a stage not below Rs. 43000 in the Pay Band of Rs. 37400-67000, with the applicable AGP of Rs. 10000.
- (xv) Ten percent of the posts of Professors in a AICTE approved Institution shall be in the higher AGP of Rs. 12000, however, teachers appointed to the posts shall continue to be designated as Professor. Eligibility for appointment as a Professor in the higher Academic Grade Pay shall be as may be laid down by the AICTE, and such eligibility conditions shall, inter alia, include publications in peer reviewed/ refereed Research Journals, and the requirement of at least 10 years of teaching as Professor and post-doctoral work of a high standard. No person appointed directly as Professor in the AGP of Rs. 12000 shall be fixed at a stage less than Rs. 48000 along with the AGP.
- (xvi) For initial direct recruitment at the level of Associate Professors and Professors, the eligibility conditions in respect of academic and research requirements shall be as may be or have been prescribed by the AICTE, through Regulations and as may be laid down by the AICTE.
- (xvii) Discretionary award of advance increments for those who enter the profession as Associate Professors or Professors with higher merit, high number of research publications and experience at the appropriate level, shall be within the competence of the appropriate authority of the concerned University or recruiting institution while negotiating with individual candidates in the context of the merits of each case, taking into account the pay structure of other teachers in the faculty and other specific factors.
- (xviii) All advancements to higher grade pays in various cadres will be effected subject to completion of two AICTE approved refresher programs of not less than two weeks duration each and two one week each TEQIP sponsored programs.

Pay Scales of Principals/Directors in Colleges:

Appointments to the posts of Principal in Technical Institutions shall be based on the conditions of eligibility in respect of educational qualifications and teaching/research experience laid down by AICTE from time to time, The posts of Principal shall be in the Pay Band of Rs.37400-67000 with

AGP of Rs. 10,000, plus a Special Allowance of Rs. 3000 per month. All Principals in service shall be appropriately fixed in the Pay Band with the AGP of Rs. 10000 plus a Special Allowance of Rs. 3000 per month.

Pay Scales and Career Advancement Scheme for Librarians etc:

Assistant Librarian/ College Librarian:

- (i) Assistant Librarian/ College Librarian in the pre-revised scale of pay of Rs. 8000-13500 shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 6000.
- (ii) All the conditions of eligibility and academic qualifications laid down by the AICTE shall be applicable for direct recruitment of Assistant Librarian/ College Librarian.

Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale)

- (i) The posts of Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale) in the pre-revised scale of pay of Rs. 10000-15200 shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 7000.
- (ii) Assistant Librarian/ College Librarian possessing Ph.D. in Library Science at the entry level, after completing service of 4 years in the AGP of Rs. 6000, and if otherwise eligible as per guidelines laid down by the AICTE shall be eligible for the higher AGP of Rs. 7000 with in the Pay Band of Rs. 15600-39100.
- (iii) Assistant Librarian/ College Librarian not possessing Ph.D. but only M.Phil in Library Science at the entry level after completing service of 5 years in the AGP of Rs. 6000, if otherwise eligible as per guidelines laid down by the AICTE, shall become eligible for the higher AGP of Rs. 7000.
- (iv) After completing service of 6 years in the AGP of Rs. 6000 Assistant Librarian/ College Librarian without the relevant Ph.D. and M. Phil shall, if otherwise eligible as per guidelines laid down by the AICTE move to the higher AGP of Rs. 7000.
- (v) The pay of the existing Assistant Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale) in the pre-revised scale of pay of Rs. 10000-15200 shall be fixed in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 7000 at an appropriate stage based on their present pay,

Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade)

- (i) Deputy Librarians who are directly recruited shall be placed in the Pay Band of Rs. 15600-32100 with AGP of Rs. 8000 initially at the time of recruitment.
- (ii) On completion of service of 5 years, Assistant Librarian (Sr. Scale) / College Librarian (Senior Scale) shall be eligible for the post of Deputy Librarian / equivalent posts in Pay Band of Rs. 15600-39100, with Academic Grade Pay of Rs. 8,000, subject to their fulfilling other conditions of eligibility (such as Ph.D, degree or equivalent published work etc. for Deputy Librarian) as laid down by the AICTE. They shall be designated as Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade)/ College Librarian (Selection Grade), as the case may be.

- (iii) The existing process of selection by a Selection Committee shall continue in respect of promotion to the post of Deputy Librarian and their equivalent positions.
- (iv) After completing 3 years in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with an AGP of Rs. 8000, Deputy Librarians/ equivalent positions shall move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 and AGP of Rs. 9000, subject to fulfilling other conditions of eligibility laid down by the AICTE.
- (v) Assistant Librarians (Senior Scale) in universities/ College Librarians (Senior Scale) in the AGP of Rs.7000 not possessing Ph.D. in Library Science or equivalent published work but who fulfill other criteria prescribed by the AICTE, shall also be eligible for being placed in the AGP of Rs. 8000.
- (vi) Incumbents to the posts of Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade) who have completed three years in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be fixed at an appropriate stage in the Pay Band of Rs. 37400-67000 with an AGP of Rs. 9000. They shall continue to be designated as Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade) / College Librarian (Selection Grade)
- (vii) Incumbents to the posts of Deputy Librarian / Assistant Librarian (Selection Grade)/College Librarian (Selection Grade) who have not completed the requirement of three years in the pre-revised pay scale of Rs. 12000-18300, for being eligible to be placed in the higher Pay Band of Rs. 37400-57000, shall be placed at an appropriate stage with Academic Grade Pay of Rs.8000 till they complete three years of service as Deputy Librarian/ Assistant Librarian (Selection Grade)/ College Librarian (Selection Grade).
- (viii) Pay in regard to the directly recruited Deputy Librarians shall be initially fixed in Pay Band Rs. 15500-39100 with AGP of Rs. 8000. They shall move to the Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000 after completing three years of service in the AGP of Rs. 8000.
- (ix) The existing conditions of eligibility and academic qualifications prescribed by the AICTE shall continue to be applicable for direct recruitment to the post of Deputy Librarian.

Pay Scales and Career Advancement Scheme for Physical Education Personnel:

- (a) **Assistant Director of Physical Education (Assistant DPE) / College Director of Physical Education (College DPE)**
 - (i) The Assistant Director of Physical Education/ College DPE in the pre-revised pay scale of Rs. 8000-13500 shall be placed in the Pay Band of Rs.15600-39100 with AGP of Rs. 6000.
 - (ii) Pay of incumbent Assistant Directors of Physical Education / College DPE shall be fixed at an appropriate stage in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with an AGP of Rs. 6000, in accordance with the 'fixation formula' of the 6th CPC.